राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :— श्री स्नेहल धायगुडे (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 65 / 2020 दिनांक 31 / 03 / 2021

1. मोहन पिता धन्ना खाती निवासी आगरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)
2. छोटू पिता धन्ना खाती निवासी आगरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)
3. महावीर पिता धन्ना खाती निवासी आगरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पिता छोगा मीणा निवासी आगरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)
2. हरदेव जाट पिता निवासी आगरिया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये भु—धारक तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0 भू0 अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने के।

::निर्णय:: दिनांक 31 / 03 / 2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 24 / 08 / 2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम आगरिया पटवार मण्डल आसोप भू0अ0नि0 छापडेल तहसील कोटडी में स्थित आराजी संख्या 481 / 1 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। विवेचित भूमि प्रार्थी के खातेदारी हक मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिन्ह नही हाने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो रहा हैं। जिससे प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता / चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रकरण सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नहीं होता है। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थना—पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही हो तो, तहसील कोटडी के ग्राम आगरिया पटवार मण्डल आसोप भू0अ0नि0 छापडेल तहसील कोटडी में स्थित आराजी संख्या 481 / 1 रकबा 10 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी उभयपक्षो को प्रार्थी के खर्चे पर जरिये पंजीकृत डाक के नियत तिथि से न्युनतम 10 दिन पूर्व सूचना पत्र जारी करा, सूचित करते हुए तिथी एवं समय निर्धारण के पश्चात् मुस्तकील सीमा चिन्हों / पोईन्ट की सहायता से पक्षकारान के कब्जें को बिना परिवर्तित (छेड़छाड़) किये, पत्थरगढ़ी की जावें। भू अभिलेख निरीक्षक कोटडी को उक्त कार्य हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमिश्नर फीस रूपये 1000 / —भू—अभिलेख निरीक्षक को वक्त पत्थरगढ़ी जमा करायेगा। निर्णय आज दिनांक 31 / 03 / 2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर से कम की जाकर फैसल शुमार हों।

उपखण्ड अधिकारी जिला-भीलवाड़ा

(स्नेहल धायगुडे)
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी (भीलवाडा)

प्रतिलिपिः— तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी की पालना हेतू तहसील में संधारित पंजिका में उक्त आदेश का अंकन कराते हुए पत्थरगढ़ी आदेशों का प्राथमिकता क्रम में निस्तारण हेतू सम्बंधित आईएलआर को निर्देशित करने का श्रम करावें।

(स्नेहल धायगुडे)
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी (भीलवाडा)